

सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक-प्रतिवेदन के लिए प्रपत्र-1

क्रम सं०	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष _____ में लोक सूचना पदाधिकारी के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	कितने मामले में राज्य सूचना आयोग द्वारा लोक सूचना पदाधिकारी पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	वसुली की गयी कुल राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
	कुल योग										

टिप्पणी :-

- (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूरीकृत कराकर सी०डी० फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
 (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत नियम-3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हो उनके संबंध में प्रतिवेदन।
 (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटीकृत कराकर सी० डी० फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
 (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किये गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्युटरीकृत कराकर सी० डी० फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।